Volume: 5 Issue: 3 Pages: 84-86

जीएसटी संशोधन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अवलोकन

*[1] डॉ. निशी मिश्रा

*[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (QJIF): 8.4
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 14/Feb/2026
Accepted: 16/March/2026

***Corresponding Author**
डॉ. निशी मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश:
GST का पूरा नाम है-Goods and Services Tax यानी वस्तु और सेवा कर। यह एक एकल अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है जो भारत में वस्तु और सेवाओं की बिक्री या खरीद पर लगाया जाता है। सरल भाषा में: GST वह टैक्स है जो आप चीजें खरीदते या सेवाएं लेते वक्त चुकाते हैं, और यह टैक्स एक सिस्टम के तहत पूरे देश में लागू होता है ताकि सबकुछ आसान और पारदर्शी हो। पहले भारत में कई तरह के टैक्स होते थे-जैसे कि वैट (VAT), सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और कई राज्य-स्तरीय टैक्स इन सब टैक्स के कारण कीमतें बढ़ती थीं और टैक्स कलेक्शन में जटिलता होती थी। GST ने इन सब टैक्स को एक साथ मिला दिया, जिससे टैक्स सिस्टम सरल हुआ, टैक्स चोरी कम हुई, सामान और सेवा की कीमतों में पारदर्शिता आई, देश के अंदर सामान के आवागमन में आसानी हुई।

मुख्य शब्द: एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, टैक्स स्लैब, वस्तु और सेवा कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पारदर्शिता, दोहरी वसूली

प्रस्तावना:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जो पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान कर व्यवस्था लाता है। GST ने केंद्र और राज्य स्तर के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर में समाहित कर दिया।हर सामान या सेवा पर GST लगता है, जो अलग-अलग स्लैब में होता है (जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%) व्यापारी अपने खरीदे हुए माल या कच्चे सामान पर जो टैक्स चुका चुके होते हैं, उसे अपने बिक्री के टैक्स से घटा सकते हैं (इसे कहते हैं Input Tax Credit)इसका मतलब है टैक्स सिर्फ अंतिम ग्राहक को ही चुकाना पड़ता है, और टैक्स चोरी कम होती है

GST के मुख्य प्रकार:

- CGST — केंद्र सरकार का हिस्सा
- SGST — राज्य सरकार का हिस्सा
- IGST — इंटर-स्टेट सप्लाई पर लगा टैक्स (राज्य से राज्य सामान जाने पर)

भारत में GST को मुख्य रूप से 5 स्लैब में बांटा गया है

स्लैब (%)	वस्तुएँ/सेवाएँ	विवरण और नियम
0%	बुनियादी आवश्यक वस्तुएँ (जैसे दूध, दालें, दवाइयाँ, अनाज, पढ़ाई की किताबें)	इनपर कोई GST नहीं लगता, ताकि गरीबों और आम जनता के लिए जरूरी चीजें सस्ती रहें।
5%	दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, चीनी, चाय, नमकीन, रेलवे टिकट	कम दर पर टैक्स लगाया गया ताकि दैनिक खर्च कम हो।
12%	सामान और सेवाएँ जिनका मध्यम मूल्य है, जैसे होटल में ठहरने की सुविधा (₹1,000 से ऊपर), कचरा कलेक्शन, कुछ कपड़े	मध्यम टैक्स दर।
18%	सामान्य वस्तुएँ और सेवाएँ, जैसे मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े, होटल में ठहरना ₹1,000 से कम, और अधिकतर सेवाएं	यह सबसे सामान्य और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्लैब है।
28%	लक्ज़री आइटम्स, जैसे गाड़ियाँ, सिगरेट, सोना, कोका-कोला जैसी ड्रिंक	महंगी और विलासिता की चीजों पर उच्च टैक्स।

GST के कुछ खास नियम

1. **इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC)**
   - व्यापारियों को जो टैक्स माल या सेवा खरीदते वक्त देना पड़ता है, उसे वे अपने बिक्री के टैक्स से घटा सकते हैं।
   - इससे टैक्स की दोहरी वसूली नहीं होती।
2. **GST रजिस्ट्रेशन**
   - जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार ₹20 लाख से ऊपर है (कुछ राज्यों में ₹10 लाख), उन्हें GST के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है।
3. **इंटर-स्टेट और इन्ट्रा-स्टेट सप्लाई**
   - इन्ट्रा-स्टेट (राज्य के अंदर) सप्लाई पर CGST + SGST लागू होता है।
   - इंटर-स्टेट (राज्य से बाहर) सप्लाई पर IGST लागू होता है।
4. **सामान्य वस्तुएं और सेवाएं पर GST**
   - टैक्स स्लैब सामान या सेवा की प्रकृति, मूल्य, और उपयोग के आधार पर अलग-अलग होता है।
   - केंद्र सरकार समय-समय पर टैक्स दरों में बदलाव कर सकती है (जैसे जीएसटी सुधार 2025)।

GST संशोधन के प्रमुख उद्देश्य

1. कर प्रणाली का सरलीकरण
2. दोहराव वाले करों (Cascading Effect) को समाप्त करना
3. राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना
4. राजस्व संग्रहण बढ़ाना
5. पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ावा देना

- **अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव:**

GST ने पूरे भारत को एक साझा बाजार बना दिया, जिससे राज्यों के बीच माल के आवागमन में रुकावटें कम हुईं। ट्रक चेक पोस्ट और राज्य सीमाओं पर देरी घटने से परिवहन तेज हुआ और लॉजिस्टिक्स लागत में गिरावट आई। एक एकीकृत कर प्रणाली होने से कंपनियों के लिए अनुपालन सरल हुआ। भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार हुआ। डिजिटलीकरण और बेहतर निगरानी के कारण कर संग्रह में वृद्धि हुई। GST ने छोटे कारोबारियों को कर प्रणाली में लाकर औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार किया।

- **दीर्घकालिक प्रभाव (Long-Term Impact):**
  - **आर्थिक विकास को गति:** एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में अधिक स्थिरता और वृद्धि प्रदान करती है।
  - **डिजिटलीकरण और पारदर्शिता:** GST प्रणाली ने डिजिटल बिलिंग और रिटर्न फाइलिंग को अनिवार्य बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है।
  - **राजकोषीय संघवाद को मज़बूती:** केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बँटवारे ने सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया है।

GST संशोधन भारतीय कर प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहा है। इसमें चुनौतियाँ रहीं, लेकिन इसके दूरगामी लाभ स्पष्ट हैं:

- पारदर्शिता
- राजस्व में वृद्धि
- व्यापार में सरलता
- राष्ट्रीय एकता का आर्थिक रूप

GST संशोधन2025 (GST Reform 2025) के मुख्य बदलावों और उनका अर्थ व्यवस्था पर संभावित प्रभाव का विश्लेषण है चार GST दरें-5%, 12%, 18%, 28%-को घटाकर अब दो मुख्य स्लैब कर दिए गए हैं: 5% और 18%। इसके अलावा एक 40% दर बनी है जो विशेष "luxury/sin/demerit" वस्तुओं पर लागू होगी। रोज़मर्रा उपयोग की वस्तुएँ (essential goods) जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल का सामान (shampoo, toothpaste, आदि), पैक्ड स्नैक्स, प्लेटेड वाटर, कुछ निर्माण सामग्री, आदि अब 5% स्लैब में आ गई हैं।, दूध (UHT milk) अब GST से मुक्त कर दिया गया है।, Used vehicles (पुराने वाहन) पर भी मार्जिन वैल्यू बेस पर 18% दर लागू होगी। "Luxury / premium" वस्तुएँ, बड़े आकार की मोटरसाइकिल (> 350cc), बड़े कार, प्रीमियम ब्रांडेड उत्पाद आदि पर 40% की दर लागू होगी।, sugary / flavored aerated drinks, आदि भी उच्च दर की श्रेणी में आ सकते हैं। Hotels में "Declared Tariff" की अवधारणा समाप्त की जा रही है; अब होटल द्वारा वास्तविक चार्ज किए गए दर पर GST लगाया जाएगा।, शिक्षा संबंधी स्टेशनरी आइटम (जैसे notebooks, drawing materials, printed maps आदि) अब GST रहित (0%) या बहुत कम दर पर होंगी।, कृषि इनपुट्स जैसे कि उर्वरक, कुछ रासायन और ऊर्जा उपकरणों (renewable energy devices) पर कर दरों में राहत दी गई है।

GST सुधार 2025: पुरानी और नई GST दरों की तुलना

वस्तु	पुराना टैक्स स्लैब	नया टैक्स स्लैब	लाभ
पैकेज्ड खाद्य पदार्थ (दालें, चावल, आटा)	5% या 12%	5% या शून्य (कुछ वस्तुओं पर)	सस्ते
बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स	12%	5%	सस्ते
चाय, कॉफी (ब्रांडेड)	12%	5%	सस्ते
दूध और डेयरी उत्पाद (पैक्ड)	5%	5% (कोई बदलाव नहीं)	—

व्यक्तिगत देखभाल

वस्तु	पुराना टैक्स	नया टैक्स	लाभ
साबुन, हैंडवॉश	18%	5%	सस्ते
टूथपेस्ट	18%	5%	सस्ता
शैम्पू, क्रीम	18%	5%	सस्ते
सैनिटरी पैड	12%	5%	सस्ते

स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें

वस्तु	पुराना टैक्स	नया टैक्स	लाभ
दवाइयाँ (सामान्य)	12%	5%	सस्ती
मेडिकल उपकरण (जैसे थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर)	12%–18%	5%	सस्ते
स्वास्थ्य बीमा	18%	✕ 0% (अब जीएसटी नहीं)	बड़ा लाभ

परिवहन और सेवाएँ

सेवा	पुराना टैक्स	नया टैक्स	लाभ
लोकल ट्रांसपोर्ट (निजी बस, कैब आदि)	5%	5% (कोई बदलाव नहीं)	—
जीवन बीमा प्रीमियम	18%	✕ 0% (अब जीएसटी नहीं)	बड़ा लाभ

शिक्षा और बच्चों की चीज़ें

वस्तु	पुराना टैक्स	नया टैक्स	लाभ
स्टेशनरी (पेन, पेंसिल, रबर आदि)	12%–18%	5%	सस्ते
स्कूल बैग	18%	5%	सस्ते

इन संशोधन के कारण एक सामान्य परिवार को

- मासिक राशन खर्च में ~5–10% तक की कमी
- स्वास्थ्य और बीमा खर्च में और भी ज़्यादा राहत
- बच्चों की स्कूलिंग और स्टेशनरी सस्ती
- व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता के उत्पाद अब बजट फ्रेंडली होंगे

श्रेणी	मासिक खर्च (₹ में)	अनुमानित बचत (%)
राशन	₹5,000	5% बचत
व्यक्तिगत देखभाल	₹1,000	13% बचत
दवाइयाँ	₹1,500	7% बचत
स्वास्थ्य बीमा	₹2,000	18% (GST हटेगा)
जीवन बीमा	₹1,500	18% (GST हटेगा)
स्टेशनरी	₹500	10% बचत

इससे अनुमानित मासिक बचत ~ ₹800–₹1,200 के बीच हो सकती है।

GST सुधार 2025: पुरानी और नई GST दरों की तुलना (बार चार्ट)

श्रेणी	पुराना GST (%)	नया GST (%)
जरूरी वस्तुएँ	12	5
व्यक्तिगत देखभाल	18	5
दवाइयाँ	12	5
बीमा	18	0 (मुक्त)
स्टेशनरी	18	5
लक्ज़री आइटम्स	28	40

GST 2025 संशोधन के मुख्य निष्कर्ष

1. GST के चार स्लैब कई वस्तुओं के लिए घटकर दो स्लैब (5% और 18%) हो गई हैं। इससे टैक्स ढाँचा कम जटिल होगा और उपभोक्ताओं व व्यापारियों के लिए समझना आसान होगा।
2. दैनिक उपयोग की चीज़ों (जैसे साबुन, शैम्पू, कुछ खाद्य सामग्री आदि) पर टैक्स दरें कम की गईं। कई आवश्यक वस्तुओं का कर अनुपात 5% कर दिया गया है, जो पहले मझोली दर या अधिक पर था।
3. लक्ज़री व हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू, सिगरेट आदि पर ऊँची दरें (लगभग 40%) लागू की गई हैं।
4. नए बदलावों से टैक्स नियमों में पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रेडिंग तथा पंजीकरण प्रक्रिया सरल होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और अन्य दस्तावेजी/रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ पहले से कम जटिल होंगी।
5. टैक्स दरों कम करने से सरकार को कुछ राजस्व की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान यह है कि इस सुधार से कुछ महीनों में और वार्षिक आधार पर करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो सकती है।
6. लेकिन सरकार उम्मीद कर रही है कि उपभोग बढ़ने से यह कमी आंशिक या पूरी तरह से भर पायेगी।
7. आम उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी होने की संभावना है, जिससे उपभोक्ता राहत महसूस करेंगे। उद्योगों को लागत में बचत होगी, विशेषकर उन वस्तुओं की जिन पर पहले ऊँची GST दर थी। इससे निवेश और कारोबार को निश्चितता मिलेगी।

References

1. https://cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html
2. https://rahsha.in/new-gst-rate-2025-changes-india/
3. https://bizextract.com/market-insight/gst-reform-2025-new-rates-impact/
4. https://worldtradescanner.com/GST%202.0%20unveiled-%20Two-slab%20structure%20cleared,%20new%20rates%20will%20come%20into%20effect%20September%2022.pdf
5. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/sep/doc202594628401.pdf
6. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/new-gst-rates-2025-full-list-of-items-with-revised-gst-percentage-1820002300-1